क्रम-संख्या—70

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 फरवरी, 2004

फाल्गुन 6, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 318/सात-वि-1-1 (का) 1/2004

लखनऊ, 25 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 24 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन), अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन्, 2004]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 20 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2001 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001, को जिसे एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन

3—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2004

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2001) राज्य महिला आयोग स्थापित करने के लिये अधिनियमित किया गया था। उक्त आयोग, प्रयोजन की पूर्ति समुचित रूप से नहीं कर रहा था जिसके कारण उसने अपनी उपयोगिता खो दी थी। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि विद्यमान राज्य महिला आयोग को समाप्त करने के लिये उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2004 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 318(2)/VII-V-1-1(KA)1-2004

Dated, Lucknow, February 25, 2004

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog (Nirsan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 24, 2004:—

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN (REPEAL) ACT, 2004

(U.P. ACT No. 3 of 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Commission for women Act, 2001.

It is hereby enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 20, 2004.

2. The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2001 is hereby repealed. Repeal of U.P. Act no. 34 of 2001.

U.P. Ordinance no. 2 of 2004 3. The Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Ordinance, 2004 is hereby repealed. Repeal

---

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 2001 (U.P. Act no. 34 of 2001) was been enacted to establish a State Commission for Women. The said Commission was not serving the purpose properly due to which it had last its utility. It was, therefore decided to repeal the said Act to abolish the existing State Commission for Women.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Ordinance, 2004 (U. P. Ordinance no. 2 of 2004) was promulgated by the Governor on January 20, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

R. B. RAO,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 963 राजपत्र(हि०)—2004—(2324)—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 252 सा० विधा०—2004—(2325)—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।